आयकर आयुक्त कार्यालय - I

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांकः 29/01/2010

(क्रमांक	70	93)
•				

सामाजिक संस्था, नागीव नेण (जा अपार्टिमेन्ट, के. में हेना हायस्क्र के बोनारी, नासी (ट्रस्ट / संस्था का नाम)

ने, जैसा कि संगठन के दिनांक <u>15 वर्ग 2003</u> की ट्रस्ट डीड / ज्ञापन द्वारा उसका गठन किया गया है। आयकर को एक आवेदन पत्र दाखिल किया है। अतः ट्रस्ट / संस्था का नाम आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर आयुक्त 1 कार्यालय में रखे गये ट्रस्ट / संस्था के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

- यह पंजीकरण दिनांक 🔼 🏕 🗗 प्रभावित करेगा। ₹.
- पंजीकरण सं. ना. / (पी आर ओ) / 12 ए ए / 200.**9 -10 / 200.** 7<u>0 / **93**</u> 3.
- जैसा कि ट्रस्ट / संस्था द्वारा फार्म 10 (ए) में आवेदन पत्र विलंब से दाखिल किया है। पर्याप्त कारणों के अभाव 🗕 माह / वर्ष के विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।

५४/ _ (एच. एस. आचार्य)_ आयकर**ः अ**ग्रह्मकः 🗕 I

- I / तकनीकी / 12 एए (1) **2009-10** / 4541

दिनांक : 2.9/01/20

प्रतिलिपि प्रेष्टित:

- आवेदक को उसके आवेदन पत्र दिनांक 07 07 2009 के संदर्भ में इस प्रमाणपत्र से ट्रस्ट को कोई भी दानदाता धारा 80 - जी के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं होता है, उसके लिए धारा 80 - जी के अलग से दूसरा प्रमाणपत्र जरुरी है।
 - आयकर निर्धारण अधिकारी, सर्वस्त / वॉर्ड 🗕 को इस उद्देश्य हेतू जो रजिस्टर **बनाया गया है, उसमें इस ट्रस्ट** 2) / संस्था का नाम नोट कर लिया जाए । इसकी कर यीग्यता या अन्य किसी बात की जांच - पड़ताल की जाए एवं **इस संबंध में आवश्यक** कार्यवाही की जाए।
 - 3) आयकर संयुक्त आयुक्त रेंज / 1/2/3 नाशिक / धुले

आवकर अधिकारी (मु.) तकनिकी

कृते आयकर आयुक्त – I , नाशिक.